भारतीय संघ में विविधताओं एवं क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समायोजन

मनोज कुमार वर्मा
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान,
संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ

भारत विविधताओं वाला एक अनूठा देश है। भाषा, संस्कृति, धर्म की विविधता ही भारत की पहचान है। विश्व में भारत जैसे बहुत कम देश ऐसे हैं जहाँ इतनी जातीय धार्मिक व सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की इस विविधता को ध्यान में रखा तथा ऐतिहासिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाते हुए भारत को एक संघीय देश बनाया। भारत के लिए आकार तथा विविधताओं की दृष्टि से संघीय प्रणाली ही स्वभाविक युक्ति प्रतीत हो सकती थी। संघीय राज्य बनाए जाने के पश्चात भी विभिन्न कारणों से क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उचित प्रतिनिधित्व नही मिल पाया। इसी कारण से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर वर्तमान समय तक नए राज्य के गठन को लेकर विभिन्न मांगे उठती रही हैं तथा विभिन्न आन्दोलन चलते रहे हैं। इन क्षेत्रीय मांगों के आधार अलग–अलग रहे हैं, जैसे कि भाषा, विकास एवं धार्मिक व सांस्कृतिक भिन्नता। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति इतनी प्रभावी है कि विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं तथा मांगों को उनके उचित समर्थन के आधार पर भारतीय संघ में समायोजित किया गया।

स्वतंत्रता के साथ देश में नई समस्याएं आईं। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग–अलग मांगों को लेकर आन्दोलन उठने लगें। इसमें राजनीतिक कुशलता की जरूरत थी अर्थात नेताओं के सामने सबसे बडी चुनौती यह थी कि देश को विघटित होने से बचाएं और उनकी विभिन्न मागों और तत्वों को मिलाकर एक राष्ट्र की रचना करें। नेताओं के सामने यह बड़ी चुनौती थी कि देश की विविधताओं के मद्देनजर विरोधी मतों व मांगों के बीच सामंजस्य बनाए रखा जाय। कोई भी ऐसी कार्यवाई न की जाय जिससे राष्ट्रिय एकता को खतरा पैदा हो और राष्ट्रविरोधी ताकतों का तुष्टिकरण हो क्योंकि भारत विभाजन के रूप में हम इसका परिणाम झेल चुके थे। नेहरू ने सन् 1952 में इस बात को यों कहा था, "इस नाजुक समय में मैं देश की एकता को सर्वोपरि मानता हूँ। जब तक इस एकता की नींव पक्की न हो जाए, हमें ऐसी कार्यवाई से बचना चाहिए, जो इसमें बाधक हो।"

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कुछ विशेष परिस्थितियाँ थीं, जिसके कारण कुछ सिद्धान्त स्वीकार किए गए, अब वे परिस्थितियाँ बदल गई थीं। जैसे, पहले देश के विभाजन की बात नही सोची गई थी इसलिए मुसलमानों को भरोसा दिलाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और प्रान्तीय स्वायत्तता पर बहुत जोर दिया गया था। देश के विभाजन और भयानक रक्तपात के अनुभव के बाद देश का और विभाजन रोकने के लिए केन्द्रीय सत्ता को राज्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देने की आवश्यकता प्रतीत हुई। लेकिन इसी के साथ देश की विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी औचित्य के आधार पर पूरा करना आवश्यक समझा गया जिसके फलस्वरूप एक मजबूत केन्द्र की स्थापना के साथ ही राज्यों की पर्याप्त स्वायत्तता का भी ध्यान रखा गया।

संघीय व्यवस्था एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिसमे विभिन्न विविधताओं को समान भागीदारी दी जाती है। यह संस्थागत संघीय व्यवस्था मुख्यतः बहुसांस्कृतिक देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। संघीय व्यवस्था में राजनीतिक सहयोग व सामूहिक सहअस्तित्व को महत्व दिया जाता है। संघीय शासन की विशेषताए यही है कि इसमें किसी भी सांस्कृतिक या क्षेत्रीय पहचान को किसी अन्य सहभागी पहचान (Melting Pot) में नही मिलाया जाता, अपितु इनकी विभिन्नताओं को साझेदारी के साथ बनाए रखा जाता है। संघीय शासन की इसी विशेषता को Danial Elazar ने कहा है कि संघीय व्यवस्था एक ऐसा शासन प्रदान करती है जिसमें "स्वयं का शासन तथा साझेदारी का शासन" (Self rull plus shared rule) सम्भव हो पाता है। संघवादी शासन में स्थानीय पहचान को बनाए रखा जाता है तथा साथ ही सहभागी शासन को भी सुनिश्चित किया जाता है। संघीय व्यवस्था एकता व अनेकता, केन्द्रीकरण व विकेन्द्रीकरण तथा राष्ट्रीयता व स्थानीयता में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। Johannes Althusius ने अपनी रचना Politica Methodice Digesta में संघीय व्यवस्था को "सहअस्तित्व की एक

महान रचना" कहा है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से William Livingstone ने कहा है कि एक संघीय व्यवस्था की उत्पत्ति के पीछे सामाजिक कारण व उद्देश्य निहित होते हैं। संघीय व्यवस्था के द्वारा समाज की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को भौगोलिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। संघीय व्यवस्था के द्वारा राज्य को एक ऐसी स्वायत्त संरचना उपलब्ध कराई जाती है जिसमें समाज की सांस्कृतिक व भौगोलिक विभिन्नताओं को उचित भागीदारी व सम्मान के साथ एक राज्य में समायोजित (Accommodate) किया जा सके।

संविधान में राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से शक्तिशाली केन्द्र की व्यवस्था के साथ ही 'सहकारी संघवाद' को अपनाया गया है। 13 अगस्त 1949 को डा0 भीमराव अम्बेडकर ने जोर देते हुए कहा था, "राज्य किसी भी मामले में अपने विधायी या कार्यकारी अधिकारों के लिए केन्द्र पर निर्भर नही है। केन्द्र व राज्य समानाधिकारी हैं।" लेकिन संविधान लागू होने के बाद संघीय संस्थाएं केन्द्र सरकार के प्रभुत्व के सन्दर्भ में स्थापित की जाने लगीं। आरम्भ से ही केन्द्र अपनी सर्वोच्च स्थिति के प्रति सचेत रहा। यही नहीं जल्द ही केन्द्र ने राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण राज्यों की स्वतन्त्रता की माँग उठने लगी।

अधिकारों के विकेन्द्रीकरण व राज्यों की स्वायत्तता के समर्थकों का मानना है कि राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखने और राष्ट्रीय एकता की ताकतों को मजबूत बनाने के लिए देश की विविधताओं को स्वीकार करते हुए इन्हें स्थानीय स्तर पर संरक्षित करने की कोशिशों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन विविधताओं से निपटने के लिए केन्द्रीय स्तर पर की गयी कोशिशों से केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में तनाव और बढ़ेगा। दूसरी तरफ, केन्द्र के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के पक्षधरों का तर्क है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सिर्फ केन्द्र ही सक्षम है और क्षेत्रीय ताकतों को बढ़ावा देने से विखण्डनकारी शक्तियों को बल मिलेगा। लेकिन भारत व विश्व के अन्य देशों का अनुभव बताता है कि अधिकारों के केन्द्रीकरण के कारण विखण्डनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलता है, जबकि विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप जनता की उम्मीदों को पूरा करने का अवसर पैदा होता है।

राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ यह नहीं है कि विविधताओं का अंत करके पूरे देश में एक धर्म या भाषा लागू कर दी जाय। एकीकरण से तात्पर्य विलय नही है, वरन विविधताओं को इस तरह बनाये रखना है कि उनसे देश का अस्तित्व खतरे में न पड़ने पाये। समस्या यह है कि विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक समूहों को किस तरह एकता के सूत्र में बाँधा जाए। ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाय जिससे प्रत्येक वर्ग या समूह स्वतंत्र और न्यायपूर्ण ढंग से अपने हितों को सुरक्षित और विकसित कर सके लेकिन इस तरह से कि दूसरे समूहों के हितों का अपहरण भी न हो। दूसरी ओर यह भी देखना है कि कोई भी व्यक्ति या समूह अपने लाभ या हित के लिए राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा न करने पाए।

संघ में विविधताओं के समायोजन के साधन–

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में उनके समायोजन के प्रभावी उपाय किए। कुछ महत्वपुर्ण उपायों को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

केन्द्र और इकाइयों के बीच शक्तिाओं का बंटवारा–

भारतीय संविधान में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। यह विभाजन विधायी, कार्यकारी व वित्तीय क्षेत्र में किया गया है।

विधायिका की शक्तियों को सातवीं अनुसूची में तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहली सूची को संघ सूची के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 97 विषय हैं, जैसे– रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा नागरिकता तथा संचार इत्यादि। संघ सूची के विषयो पर केवल केन्द्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी सूची राज्य सूची है जिसमें कुल 66 विषय रखे गए हैं, जो स्थानीय महत्व के हैं, उदाहरण के लिए–कृषि कानून व्यवस्था पुलिस, स्थानीय संचार व्यवस्था तथा उद्योग व खनन इत्यादि। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है जिसमें 47 विषय शामिल हैं।उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को दिया गया है इसमें मुख्य रूप से ऐसे विषयों का समावेश है जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में विधि

सम्बन्धी एकरूपता का होना आवश्यक समझा गया है, जैसे– विवाह तथा तलाक, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक, कल्याण, दीवानी प्रक्रिया, सामाजिक नियोजन इत्यादि विषय।

संविधान के भाग 12 में संघ व राज्य के बीच वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं– निगम कर, सीमा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। राज्यों के राजस्व स्रोत हैं– प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, सम्पदा शुल्क, भूमि व भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि।

संविधान के 11 वें भाग में केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक सम्बन्धों के बारे में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केन्द्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है, जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकार साधारतया राज्यों में निहित हैं। किन्तु इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है, जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त हैं। प्रशासनिक सम्बन्धों में केन्द्र को राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। किन्तु इसके बाउजूद राज्यों को स्वायत्तता एवं जिम्मेदारी का बड़ा क्षेत्र मिला हुआ है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार–

संविधान के भाग तीन के अन्तर्गत अनुच्छेद 25–28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता का मूल अधिकार दिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पूजा–पाठ करने तथा धार्मिक मामलों के प्रबन्धन की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। इस अधिकार के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी मिलती है।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी मूल अधिकार–

संविधान के अनु0 29 व 30 के द्वारा अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति के सम्वर्धन की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अनु0 29(1) के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनु0 29(2) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के सम्बन्ध में जाति, धर्म, नस्ल, और भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नही किया जायेगा। अनु0 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा, साथ ही यह भी प्रावधान है कि शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नही करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं।

आठवीं अनुसूची और भारतीय भाषाएं–

भारतीय संघीय व्यवस्था में बहुसांस्कृतिक समूहों का एक आधार भाषा है। भारत में 325 भाषाएं है तथा 1625 बोलियां हैं। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के शामिल होने से एक ओर तो सांस्कृतिक व क्षेत्रीय पहचान को राज्य की स्वीकृति मिलती है, वहीं दूसरी ओर रोजगार के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आठवीं अनुसूची की भाषाओं का विकल्प मिलता है। इस प्रकार आठवीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल करना भारतीय संघीय व्यवस्था के बहुसांस्कृतिक रूप को दर्शाता है। संघीय शासन के परिप्रेक्ष्य में भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष राज्य की आधिकारिक भाषा को लेकर है। भारतीय संविधान के अनु0 345 मे यह प्रावधान किया गया है कि हिन्दी या देवनागरी संघ (Union) की अधिकारिक भाषा होगी। परन्तु संविधान के लागू होने से 15 वर्षो तक अंग्रेजी भाषा संघ (Union) के सभी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। परन्तु इस प्रावधान की दक्षिण भारतीय राज्यों–तमिलनाडु, कर्नाटक व आन्ध्रप्रदेश द्वारा विरोध किया गया। इन सभी राज्यों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में अन्य प्रावधानो के अतिरिक्त मुख्य प्रावधान यह किया गया कि अंग्रेजी भाषा को संघ की वैकल्पिक आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखा गया।

भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 345 व 347 के द्वारा यह भी व्यवस्था की है कि राज्य विधानसभाएं तथा राष्ट्रपति के द्वारा हिन्दी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं को अंतर्राज्यीय लेन–देन के लिए प्रयोगों में लाया जा सकता है। इस प्रकार भारत की संघीय व्यवस्था द्वारा भारत की भाषाई विविधता को भी समायोजित करने का प्रयास किया गया है।

अनुसूचित एंव जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन–

संविधान के 10वें भाग के अनुच्छेद 244 के अन्तर्गत पांचवीं तथा छठीं अनुसूची में पिछड़े क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। संविधान की पांचवीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है (असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा को छोड़कर)। दूसरी ओर संविधान की छठीं अनुसूची में चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के प्रशासन के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं।

दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है क्योंकि वहाँ वे आदिम निवासी रहते हैं, जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछडे होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। अतः राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती और केन्द्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है।

राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। ऐसे राज्य जिनके अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देगी। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केन्द्र की कार्यकारी शक्ति के अन्तर्गत होगा। साथ ही राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देगा या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहे।

पाँचवीं अनुसूची के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति सौंपी गई है कि वह यह सुनिश्चत करे कि संसद या सम्बन्धित राज्य की विधायिका का कोई कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न हो अथवा विशेष संशोधन के साथ लागू हो। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के द्वारा विभिन्न विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे– अनुसूचित जनजाति समूहों में भू–हस्तांतरण, भू–वितरण का नियमन तथा पैसों का लेन देन इत्यादि। इस प्रकार के राज्यपाल के नियमों को लागू होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है।

संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं। क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियां इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्या में घुल–मिल नहीं पायी हैं। ये क्षेत्र, मानव विज्ञान के नमूने के तौर पर हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। दुसरी तरफ असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है।

असम, मेघालय, त्रिपुरा, व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र निम्न हैं–

असम– 1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, 2. कार्वी आंगलांग जिला 3. बोडोलैण्ड प्रदेश क्षेत्र जिला
मेघालय–1. खासी पहाड़ी जिला 2. जयंतिया पहाड़ी जिला 3. गारो पहाड़ी जिला,
त्रिपुरा– 1. त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला
मिजोरम–1. चकमा जिला 2. मारा जिला 3. लाई जिला

छठीं अनुसूची में प्रावधान है कि उपरोक्त जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन स्वायत्त जिलों के रूप में किया जायेगा। इन स्वायत्त जिलों के द्वारा व्यवस्थापिका व नागरिक शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा। परंतु कार्यपालिका शक्तियां सम्बन्धित राज्यों के पास ही रहेंगी। इन जिलों में जिला परिषद व क्षेत्रीय परिषद प्रतिनिध संस्था के रूप में कार्य करेंगी। इन परिषदों को कार्यों को सम्पन्न करने के लिए वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। इन शक्तियों में राजस्व एकत्र करने के साथ कुछ विषयों पर कर एकत्र करने की शक्तियां शामिल हैं। इन परिषदों के द्वारा बनाए गए कानून को राज्यपाल की सहमति आवश्यक है, अन्यथा यह अप्रभावी रहेंगे। इस स्वायत्तता से भारतीय संघ में जातीय विविधता को इस प्रकार संयोजित

किया गया है कि कहीं से भी भारतीय संघ के प्रति विभाजनकारी प्रवृत्तियों को जन्म न मिले। छठीं अनुसूची में प्रदान की गई स्वायत्तता एक राज्य को मिलने वाली स्वायत्तता के समान ही है।

जम्मू व कश्मीर से सम्बन्धित अनुच्छेद 370 –

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संघीय व्यवस्था को असममिति (Asymmetrical) रूप प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में जम्मू–कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं। रक्षा, विदेश मामले तथा संचार से सम्बन्धित संघीय कानून ही जम्मू व कश्मीर पर लागू किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त केवल वे ही संघीय कानून वहां लागू होंगे जिन्हे जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा मंजूरी दी जायेगी। संघीय सरकार की राज्य निर्माण व राज्य में परिवर्तन करने सम्बन्धी शक्तियों व अंतर्राष्ट्रीय संधि को राज्यों में लागू करवाने की शक्ति के सम्बन्ध में भी विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। जम्मू–कश्मीर संघीय व्यवस्था में एक राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है।

कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबन्ध –

संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 J तक दस राज्यों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किए गए है। इन राज्यों के नाम हैं–महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैण्ड, असम, मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरूणांचल प्रदेश एवं गोवा। इसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना या इन राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। इन राज्यों की सजातीय विविधता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय संविधान के तहत किए गए हैं। अनु0 371 A व 371 G में क्रमशः यह सुनिश्चित किया गया है कि संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून जो नागा धर्म या सामाजिक क्रियाओं से सम्बन्धित हो और मिजोरम के सजातीय समूहों, समुदायों तथा उनकी प्रथाओं से सम्बन्धित हो या भू–स्वामित्व व भू–हस्तान्तरण से सम्बन्धित हो, उस समय तक इन राज्यों में लागू नही होंगे, जब तक कि इनकी विधानसभाओं द्वारा ऐसे संसदीय कानूनो को स्वीकृति न मिल जाए। अनु0 371 के तहत राष्ट्रपति महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां दे सकता है, जैसे–विदर्भ, मराठावाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र, कच्छ एंव शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना करने की शक्ति। अनु0 371 F के तहत सिक्कम के राज्यपाल तथा अनु0 371 H के तहत अरूणांचल प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थापना का विशेष दायित्व सौंपा गया है, जिसके अनुपालन में वे स्वविवेक से निर्णय सकते हैं। अनुच्छेद 371 J के अन्तर्गत हैदराबाद–कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्डों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त विभिन्न अनुच्छेद यह प्रावधान करते है कि इन क्षेत्रो में भी समान विकास हो साथ ही क्षेत्र के सजातीय तथा धार्मिक समुदायों की अलग पहचान तथा स्वायत्तता बनी रहे।

स्थानीय सरकार–

73वें व 74वें संवैधानिक संशोधनों के द्वारा शक्तियों का विभाजन स्थानीय स्तर पर किया गया। इन संशोंधनों के द्वारा संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गईं 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं, जिन्हें राज्य अपनी पंचायतो को सौंप सकता है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिये गये हैं, जिन्हे राज्य शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को सौंप सकता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जिले के स्तर पर जिला परिषद, खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी क्षेत्रों में भी नगर निगम व नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था में विभिन्न सांस्कृतिक, सजातीय तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता का प्रावधान देखने को मिलता है।

क्षेत्रीय पहचान तथा राज्यों का पुनर्गठन–

भारतीय संघ में विभिन्न क्षेत्रीय पहचानों को समायोजित (Accommodate) करने का प्रयास किया गया है। परन्तु अलग राज्यों के निर्माण की मांगे बनी हुई हैं। ये सभी मांगे सजातीय व भाषाई विविधता को एक क्षेत्रीय आधार प्रदान करवाने के लिए की जा रही हैं। किन्तु व्यावहारिक रूप से देखा जाय तो संघीय व्यवस्था के द्वारा राज्यो के पुनर्गठन के समबन्ध में किसी भी आधार को पूरी तरह नहीं अपनाया गया। विभिन्न मांगों के सन्दर्भ में भिन्न–भिन्न आधारों व तत्वों को अपनाया गया। भारतीय संघीय व्यवस्था मे एक ओर तो भाषायी आधार पर कई राज्यों कर निर्माण हुआ तो दुसरी ओर भारत के

पूर्वोत्तर राज्यों में पुनर्गठन के भाषाई आधार के स्थान पर सजातीय (Ethnicity) को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त राज्यों के पुनर्गठन में भौगोलिक क्षेत्र का आधार भी एक रूप नहीं है। एक ओर तो राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य हैं तो दूसरी ओर गोवा सिक्किम, मणिपुर, व त्रिपुरा जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों का भी गठन हुआ है। इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के पुनर्गठन का कोई एक समरूप आधार नहीं है। अपितु समय, परिस्थिति व सन्दर्भ के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन का आधार परिवर्तनशील रहा है।

निष्कर्ष–

भारतीय संघ में विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने का प्रयास किया गया है परन्तु 29 राज्यों के निर्माण के पश्चात् भी भारतीय संघ में विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों व क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राजनीतिक स्वायत्तता तथा भौगोलिक क्षेत्र के रूप में प्रतिनिधित्व नही मिल पाया है और न ही यह पूरी तरह से संभव ही है। असल में गहराई से पड़ताल करने पर नये राज्यों की मांग क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक स्वायत्तता की बजाय काफी हद तक विकास के अभाव और कुप्रबन्धन से जुड़ी जान पड़ती है। गोरखालैण्ड, विदर्भ, बोडोलैण्ड, बुन्देलखण्ड, कार्बी आंगलांग, पूर्वांन्चल आदि सभी देश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्र हैं। अगर पुराने राज्यों को ही विकसित कर दिया जाए, तो नये राज्य की संभवतः जरूरत नही पड़ेगी। सरकारों को राजनीतिक कारणों से नए राज्यों के निर्माण के बजाय विभिन्न सांस्कृतिक, भौगोलिक व भाषाई विविधताओं के सामूहिक सह–अस्तित्व को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि विवधता में एकता ही हमारी पहचान रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे विशाल विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रीय पहचान की मान्यता से जुड़ी मांगे स्वाभाविक हैं। बस जरूरत इस बात की है कि देश की विभिन्न सांस्कृतिक, भाषाई, सजातीय विवधताओं व क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वायत्तता प्रदान करके भारत की एकता और अखण्डता को बनाए रखा जाय साथ ही केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा संघीय व्यवस्था में व्याप्त अलगाव–वादी प्रवृत्तियों को वोट बैंक की दलगत राजनीति से परे रहकर हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ–

1. संजय शर्मा : संघवाद और क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं (संपादित), वी0एन0 चौधरी एवं युवराज कुमार, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2013
2. रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, ओरिएण्ट लॉगमैन, नई दिल्ली,
3. एस0एम0 सईद, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2015
4. डॉ0 पुखराज जैन व बी0एल0 फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 2016
5. एम0 लक्ष्मीकान्त, भारत की राजव्यवस्था, मैक्ग्राहिल, नई दिल्ली, 2015
6. 'स्पीचेज ऑफ जवाहर लाल नेहरू 1949–53' (भारत सरकार, दिल्ली 1954), संघर्ष बचाने के विषय पर 'सेमिनार' (नई दिल्ली), 1963
7. डॉ0 डी0डी0 बसु, भारत का सविधान, बाधवा, नागपुर, आठवां संस्करण, 2005
8. एम0पी0 जैन, इंडियन कांस्टीट्यूशनल लॉ, वाधवा, नागपुर, 1987
9. ए0एस0 नारंग, भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2005
10. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2006
11. Ajay Kumar singh, Union model of Indian federalism: structural feature & competence dimensions, Manak publications, 2008
12. Danial Elozer, exploring federalism, Tuscaloosa, The university of Alabama Press,1987
13. Kumar Suresh, cultural pluralism, multiple Identities and federal nation building Ed. Abbul Rahim P. Vijapur, Manak Publication, 1998, PP. 49-60
14. William S. Living Stone, Federalism and Constitutional change, Clardon Press, 1956, P. 1
15. A.K. Roy, Jharkhand Areas Autonomous Council: One Step Forward or two Step Back? In Economics and Political Weekly, Vol. 29, No. 49, Dec. 3, 1999, PP. 3065- 3068